<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबडा,</u> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—213 / 2017 संस्थित दिनांक—16.05.2017 फाईलिंग नं.—7482017

<u>\(\lambda \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \ta</u>
<u>फाईलिंग नं.—7482017</u>
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट(म.प्र.) — — — <u>अभियोजन</u>
// विरुद्ध //
राजेश उर्फ राकेश पिता स्व0 जैनसिंह मरकाम, उम्र 30 साल,
साकिन धोपघट थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
<u></u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक 15/01/2018 को घोषित)

- 31रोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 एवं मोटर व्हींकल एक्ट की धारा—130(3)/177, 3/181, 146/196, 185 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 13.03.2017 को समय 20—20:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम भगतवाही तिराहा मेन रोड लोकमार्ग पर काले रंग की बिना नंबर की सोल्ड मोटर सायकिल हीरो एच.एफ. डिलक्स को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर फिरयादी विजय साहू का मानव जीवन संकटापन्न कर फिरयादी को टक्कर मारकर गंभीर उपहित कारित किया एवं पुलिस अधिकारी द्वारा दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज पेश नहीं कर उक्त वाहन को बिना इायविंग लायसेंस, बिना बीमा तथा शराब के नशे में चालन किया।
- 02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक 13.03.17 को भगतवाही तिराहा में दो मोटर सायकल चालकों के एक्सीडेंण्ट से चोटग्रस्त हालत में शासकीय अस्पताल बिरसा में भर्ती किये जाने पर डॉक्टर मेश्राम द्वारा अस्पताल तहरीर थाना बिरसा में दी गई, जो जांच उपरांत विजय साहू का नागपुर में तथा राजेश मरकाम के बालाघाट अस्पताल में ईजाल किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई तथा बिरसा से एम.एल.सी. रिपोर्ट प्राप्त की गई।

घटना की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर डायल 100 एवं एम्बुलेंस द्वारा दोनों मुर्तजरर को बिरसा अस्पताल लाया गया। वाहन मोटर सायकिल हीरो स्पलेण्डर क.एम.पी.50—एम.जे.—7189, जिसके पीछे चेनस पाकेट, पिछला पायदान, पिछली नंबर प्लेट क्षतिग्रस्त है तथा आहत राजेश मरकाम की मोटर सायकिल शोल्ड हीरो एच.एफ. डीलक्स का सामने का मास्क, हेडलाईट टूटा, शॉकप बेन्ड एवं सामने के चके का एल.आई. व्हील टूट कर बेण्ड होकर क्षतिग्रस्त अवस्था में है।

अभियोजन कहानी अनुसार अस्पताल तहरीर जांच दौरान गवाह जावेद खान, राना मरार, गोपाल रामटेके, आसनबाई, रामकुमार के कथन लेख किये गये। वाहन मोटर साइकिल सोल्ड हीरो एच.एफ. डीलक्स के चालक राजेश मरकाम द्वारा शराब के नशे में तेज गति, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मोटर सायकिल हीरो स्पलेण्डर क्रमांक एम.पी.50-एम.जे.-7189 के चालक विजय साहू को दिनांक 13.03.17 के रात 08:00 बजे करीब ग्राम भगतवाही तिराहा मेन डामर रोड पर पीछे से ठोस मार दिया। आरोपी मोटर सायकिल सोल्ड हीरो एच.एफ. डीलक्स के चालक राजेश के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा, जप्ती पत्रक, की कार्याही की गई। विवेचना दौरान एम.एल.सी., आहत एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। आरोपी राजेश मरकाम उर्फ राकेश मरकाम को पूछताछ किये जाने पर उसने बताया कि घटना में प्रयुक्त वाहन उसका है एवं कागजात फाईनेंस कंपनी गंडई में है तथा वाहन को वह स्वयं चला रहा था। आरोपी द्वारा बिना लायसेंस, मौके पर वाहन के दस्तावेज व बीमा पेश नहीं करने तथा शराब पीकर वाहन चलाने एवं आहत के वाहन की नुकसानी होना पाये जाने पर प्रकरण में धारा-427 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 130(3)/177, 146 / 196, 185 का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कंमांक 53 / 17 दिनांक 23.04.17 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश है।

04— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—**27**9, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—130(3) / 177, 3 / 181, 146 / 196, 185 के अंतर्गत

आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत विजय ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—338 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—130(3) / 177, 3 / 181, 146 / 196, 185 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

05- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 01.क्या आरोपी ने दिनांक 13.03.2017 को समय 20—20:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम भगतवाही तिराहा मेन रोड लोकमार्ग पर काले रंग की बिना नंबर की सोल्ड मोटर सायकिल हीरो एच.एफ. डिलक्स को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर फरियादी विजय साहू का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- **02.**क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर पुलिस अधिकारी द्वारा दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज पेश नहीं किया ?
- 03.क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं बीमा के चलाया ?
- 04.क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का शराब के नशे में चालन किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :--

विचारणीय प्रश्न कमांक-01

06— साक्षी विजय अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना इस वर्ष होली के एक दिन पूर्व रात्रि के समय लगभग 6:00 बजे ग्राम भगतवाही की है। घटना के समय वह अपनी मोटर सायकिल से अपने घर बहेराभाटा जा रहा था, तभी भगतवाही तिराहा के पास उसकी मोटर सायकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे उसे सिर पर गहरी चोटें आई थी। घटना के बाद उसे ईलाज के लिये बिरसा अस्पताल ले जाया गया था। बिरसा अस्पताल से उसे बालाघाट रिफर कर दिया गया। बालाघाट में लगभग एक

सप्ताह तक भर्ती रहने के पश्चात उसने अपना ईलाज नागपूर अस्पताल में कराया। उसने घटना की शिकायत नहीं की थी और ना ही पुलिस को बयान दिया था।

- 07— साक्षी विजय अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी ने अपनी मोटर सायकिल को उसकी मोटर सायकिल में पीछे से टक्कर मार दिया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.01 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह स्वतः अनियंत्रित होकर गिर गया था, पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी, उक्त दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।
- 08— साक्षी जावेद खान अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग इसी वर्ष होली के समय रात्रि की ग्राम भगतवाही की है। घटना के समय दो मोटर सायिकल आपस में टकरा गई थी, जिससे दोनों मोटर सायिकल सवार लोगों को चोटें आयी थी। घटना के बाद उन लोगों ने एंबुलेंस से घायलों को बिरसा अस्पताल भिजवा दिया था। घटनास्थल पर पुलिसवाले भी आ गये थे। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन मोटर सायिकल एच.एफ. डिलक्स बिना नंबर की पहचान कराकर पंचनामा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष सालेटेकरी चौकी में क्षतिग्रस्त दोनों मोटर सायिकलों का पहचान पंचनामा प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष सालेटेकरी चौकी में दोनों मोटर सायिकल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष सालेटेकरी चौकी में दोनों मोटर सायिकल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 09— साक्षी जावेद खान अ.सा.02 के अनुसार पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। दुर्घटना कैसे और किसकी गलती से हुई वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि उसने घटना नहीं देखी थी और लोगों ने उसे बताया था कि घटना आरोपी राजेश की गलती से हुई थी, क्योंकि उसने शराब के नशे में दुर्घटना कारित की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी उसे नहीं मालूम, क्योंकि वह दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पहुँचा था, उसने प्र.पी.02 के हस्ताक्षर पुलिस चौकी सालेटेकरी में किया था, जो पूर्व से ही तैयार था, उसने प्र.पी.03 लगायत प्र.पी.06 पर हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर किया था, प्र.पी.03 वाहन पंचनामा पुलिस के द्वारा बनाया गया था, जिस पर उसने मात्र हस्ताक्षर किये थे, किन्तु साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष प्र.पी.05 की कार्यवाही नहीं हुई थी।
- 10— साक्षी मुकेश अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 17.03.2017 को पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। थाना बिरसा से अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर अस्पताल तहरीर की जांच किया, जिसमें विजय एवं राकेश आहत थे। अस्पताल तहरीर जांच दौरान दिनांक 22.03.2017 को आहत विजय साहू, गवाह लखनबाई तथा दिनांक 20.03.2017 को गवाह जावेदखान, आसनबाई, रामकुमार, गायत्रीबाई, राणा पंचेश्वर के कथन लेखबद्ध किये गये थे, जिन्होंने बताया था कि विजय साहू ग्राम दमोह तरफ से अपनी मोटर सायिकल कमांक एम.पी.50एम.जे.7189 से ग्राम सालेटेकरी की ओर आ रहा था, तभी आरोपी राकेश मरकाम अपनी मोटर सायिकल बिना नंबर की हीरो एच.एफ. डिलक्स काले लाल रंग से विजय साहू की मोटर सायिकल को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे विजय साहू एवं आरोपी राकेश गिर गया, जिससे विजय साहू एवं राकेश को चोटें आई।
- 11— साक्षी मुकेश अ.सा.03 के अनुसार दिनांक 17.03.2017 को विवेचना

दौरान मोटर सायिकल बिना नंबर की हीरो एच.एफ. डिलक्स लाल काले रंग के चालक राकेश मरकाम के विरूद्ध अपराध कमांक 37/17 अंतर्गत धारा—279, 337 भा.दं.सं. एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा—184 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जो प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 20.03.2017 को विवेचना दौरान गवाह जावेद खान की निशादेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 20.03.2017 को उपरोक्त दोनों मोटर सायिकल को चौकी सालेटेकरी में सुरक्षार्थ लाने पर गवाह राणा पंचेश्वर एवं जावेद खान के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उपरोक्त वाहनों का पहचान पंचनामा कार्यवाही गवाह जावेद खान एवं राणा पंचेश्वर के समक्ष कराई गई थी, जो प्र.पी.04 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

12— साक्षी मुकेश अ.सा.03 के अनुसार दिनांक 20.04.2017 को विवेचना दौरान आरोपी राजेश उर्फ राकेश मरकाम चौकी सालेटेकरी आया था, जिसे धारा—133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस प्र.पी.08 दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर वाहन मालिक राजेश मरकाम के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस के नीचले भाग में वाहन मालिक राजेश मरकाम द्वारा अपने जवाब में यह बताया गया था कि घटना के समय वाहन को वह स्वयं चला रहा था तथा वाहन उसके स्वामित्व का है। उक्त जवाब के पश्चात सी से सी भाग पर वाहन मालिक राजेश मरकाम द्वारा गवाह जावेद खान एवं गायत्रीबाई के समक्ष चौकी परिसर में हीरो एच.एफ. डिलक्स बिना नंबर काले लाल रंग की मोटर सायकिल की पहचान कार्यवाही कराई गई, जिसमें आरोपी राजेश मरकाम ने उक्त वाहन स्वयं का होना बताया। पहचान पंचनामा प्र.पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- साक्षी मुकेश अ.सा.03 के अनुसार उक्त दिनांक को ही आरोपी राजेश मरकाम को गवाह जावेद खान एवं गायत्री मरकाम के समक्ष उपस्थिति पत्रक तैयार किया गया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी राजेश मरकाम के हस्ताक्षर है। दिनांक 21.04.2017 को ही आरोपी राजेश मरकाम की मोटर सायकिल हीरो एच.एफ. डिलक्स लाल-काले रंग की एवं आहत विजय साहू की मोटर सायकिल एम.पी.50एम.जे.7189 का वाहन परीक्षण परीक्षणकर्ता मनोज यादव से करवाया गया था। वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 एवं प्र.पी.12 है, जिसके ए से ए भाग पर वाहन परीक्षणकर्ता मनोज यादव के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आहत विजय साहू को उसकी मोटर सायकिल कमांक एम.पी.50एम.जे.7189 को गवाह जैयराम साहू एवं मनोज यादव के समक्ष हिफाजतनामे पर दिया गया, हिफाजतनामा प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आहत विजय साहू के बेड हेड टिकिट नागपूर मेडीकल कॉलेज से प्राप्त होने पर धारा–338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। आरोपी राजेश मरकाम के द्वारा लायसेंस, दस्तावेज एवं बीमा पेश नहीं करने एवं आरोपी राजेश मरकाम की एम.एल.सी. रिपोर्ट पर शराब पीने का उल्लेख करने पर एवं आहत विजय साहू की मोटर सायकिल में नुकसानी होने पर नुकसानी पंचनामा प्र.पी.09 तैयार कर प्रकरण में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 130(3)/177, 146/196, 185 एवं धारा-427 भा.द.वि. बढ़ाई गई। उक्त नुकसानी पंचनामा प्र.पी.09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 14— साक्षी मुकेश अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत विजय साहू ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.07 की रिपोर्ट उसके द्वारा झूठी लिखी गई थी। साक्षी के अनुसार

अस्पताल तहरीर जांच उपरांत लिखी गई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा मौका—नक्शा प्र.पी.02 झूटा तैयार किया गया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि मौका—नक्शा प्र.पी.02 में साक्षी जावेद खान आहत नहीं है, मात्र साक्षी है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्र.पी.04 उसके द्वारा झूटा तैयार किया गया है, उक्त पंचनामा प्र.पी.04 बताने समय साक्षी जावेद खान एवं राणा पंचेश्वर उपस्थित नहीं थे, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.05 उसके द्वारा झूटा तैयार किया गया था। उसके द्वारा हिफाजतनामा पर वाहन कमांक एम.पी.50एम.जे.7189 को प्रार्थी आहत विजय साहू को दी गई थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्र.पी.08 की कार्यवाही उसके द्वारा झूटी की गई थी, वाहन पंचनामा प्र.पी.03 उसके द्वारा झूटा तैयार किया गया था, प्र.पी.05, 09, 10, 11 एवं 12 की कार्यवाही झूटी की गई थी, उसके द्वारा साक्षी विजय साहू, लखनबाई, जावेद खान, राणा पंचेश्वर, गोपाल, आसनबाई, रामकुमार तथा गायत्रीबाई के कथन झूटे दर्ज किये गये थे। साक्षी के अनुसार उनके बताये अनुसार लेख किया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना झूटी की गई थी।

15— भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध हेतु यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक रीति से चलाया गया हो। आपराधिक उतावलापन ऐसे बोध के साथ किसी कार्य के करने को कहते है कि उसके रिष्टि पूर्ण एवं अवैध परिणाम हो सकते है। आपराधिक उपेक्षा इस बोध के बिना कोई कार्य करने में है कि उसका अवैध और रिष्टि पूर्ण प्रभाव होगा, परन्तु ऐसी परिस्थितियों में जो कि यह दर्शित करती है कि कर्ता ने उस सावधानी को नहीं बरता है, जो कि उसकी ओर अपेक्षित थी और यदि उसने वह सावधानी बरती होती, जो उसे बोध होता। अभियोजन साक्षियों द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये है। घटना का समर्थन किसी भी साक्षी ने नहीं किया है। घटना के आहत

परिवादी विजय साहू अ.सा.01 ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह स्वतः अनियंत्रित होकर गिर गया था तथा उक्त दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी और उसका आरोपी से समझौता हो गया है और वह उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षा के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। ऐसी स्थिति में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फलतः अभियुक्त राजेश मरकाम को भा.दं०ंस० की धारा—279 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-02, 03 एवं 04 का निष्कर्ष :-

🖰 साक्षी मुकेश रंगारी अ०सा०–०३ के अनुसार विवेचना के दौरान आरोपी के द्वारा लायसेंस, दस्तावेज एवं बीमा पेश नहीं करने एवं शराब पीकर वाहन चलाने से मोटर यान अधिनियम की धारा—3 / 181, 146 / 196, 185, 130(3) / 177 का ईजाफा किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तृत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये है कि घटना के समय उसके पास वाहन चलाने का लायसेंस, बीमा एवं वाहन के दस्तावेज नहीं थे। पुलिस अधिकारी द्वारा दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज पेश कर उक्त वाहन को ड्रायविंग लायसेंस एवं बीमा के साथ चलाने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति तथा बिना बीमा के चलाया गया तथा मांगे जाने पर दस्तावेज पेश नहीं किये गये, परंतु धारा–185 मो.व्ही. एक्ट के संबंध में अभियुक्त की कोई मेडिकल रिपोर्ट अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, जिससे उक्त संबंध में कोई भी निष्कर्ष दिया

जाना संभव नहीं है और यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन को शराब के नशे में चलाया जा रहा था। फलतः अभियुक्त को मो.व्ही. एक्ट की धारा—185 में दोषमुक्त किया जाता है तथा मोटर यान अधिनियम की धारा—130(3)/177, 3/181, 146/196 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

- 17— अभियुक्त के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरूद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।
- 18— अतः अभियुक्त राजेश मरकाम को मोटर यान अधिनियम की धारा—130(3)/177 के अपराध के लिए 100/— रुपये, धारा—3/181 के अपराध के लिए 500/— रुपये तथा धारा—146/196 के अपराध के लिए 1000/— रुपये कुल 1,600/— रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदंण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक—एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 19— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है, उक्त संबंध में धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- 20- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 21— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायकिल हीरो कंपनी की एच०एफ० डिलक्स काले—लाल रंग की पंजीयन कमांक सी.जी.08ए.बी.9638 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात

वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

22— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

